	ऋण राशि	एससीए के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा ब्याज की दर	लाभार्थियों के लिए एससीए द्वारा सीमान्त ब्याज की अधिकतम दर
गरीबी की रेखा से दुगना नीचे रहने वाले लाभार्थियों के लिए	रुपए 500,000 तक ऋण राशि को ध्यान में न रखतेहुए	7.5%*	10%
परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत ऋण	रुपए 100,000 से अधिक	9.5% वार्षिक	12%
सीमान्त धन ऋण योजना	*समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 की छूट		
	40,000 रुपए तक	1% वार्षिक	3% वार्षिक
	40,000 रु० से अधिक 200,000 रु० तक	2% वार्षिक	4%

भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याएं

1354. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष

अधिकारी नियुक्त किया है जिसे भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त भी कहा जाता है। विशेष अधिकारी का कर्तव्य संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उन सभी मामलों पर राष्ट्रपति को आवधिक रूप से रिपोर्ट देना है। भारत के भाषायी अल्पसंख्यकों के विशेष आयुक्त ने अब तक सरकार को 34-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिनमें से 33 रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया गया है।

Grant-In-Aid to Voluntary Organisations in Himahcal Pradesh

1355.SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to refer to reply to Unstarred Question 1629 given in the Rajya Sabha. on 14th December, 1998 and state;

(a) The names of the Voulntary Organisations in Himachal Pradesh getting grant-in-aid from the Government and the quantum of the grant-in-aid in each case;

(b) whether Government have received some more cases from the States, particularly Himachal Pradesh asking for such grants, if so, the details thereof; and

(c) the number of meetings held with the Government of Himachal Pradesh during 1996, 1997, 1998 and upto 28th February, 1999 and the results thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANKEA GANDHI): (a) A statement-I is enlcosed. (*See* below)

(b) Yes, Sir. 3 more proposals have been received from N.G.Os. in Himachal Pradesh, out of which one has since been sanction. Details are given in the enclosed statement (*See* below).

(c) Since the meetings held are of informal nature, no account of such meetings is available.

Statement-I

Details of Voluntary Organisations in Himahcal Pradesh getting Grant-in-aid from the Ministry of Social Justice & Empowerment (as mentioned in reply to Rajya Sabha Unstarred Question No. 1629 for 14-12-98).

Sl. No.	Name of the Organisation	Purpose	Amount released (Rs. in Lakhs)	
			1996-97	1997-98
1.	Himachal Pradesh State Council for child Welfare, Shimla	1. Running Education--cum-Training Centre for Adult, Deaf, Dumb & Blind	7.69	12.12
		2. School for Deaf Dumb, Physically handicapped & blind.		
2.	Indira Ladies club, Nahan, Sirmar Distt.	1. One Day care centre for 50 old Persons.	3.23	—
		2. Mobile Medicare unit		